

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 16, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्रमांक/बी-15-44/2019/14-2: चूँकि राज्य शासन ने मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5645/5872/14/59 दिनांक 29-12-1959 द्वारा जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा की खण्डवा तहसील के मंडी क्षेत्र खण्डवा में (जो इसमें इसके पश्चात उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के कय-विकय को विनियमित किया था।

और चूँकि ( उक्त मंडी क्षेत्र खण्डवा जिले की पुनासा तहसील के ग्राम मूंदी में समाविष्ट क्षेत्र जो इसके पश्चात " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है, को विपाटित करके उक्त मंडी की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उप धारा (1) के खण्ड (एक) एवं (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र " को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र में" प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्रमांक बी-15-44-2019-चौदह-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

Bhopal, the 7th December 2019

No. B-15-44 /2019/14-2: Whereas by this Department Notification No.5645/5872/14/59 dated 29-12-1959 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by regulated the purchase and sale of the Agricultural Produce specified in the said Notification in the area of Khandwa Tehsil of East Nimad Khandwa District, (here in after referred to as the "said market area").

And where as it is now proposed to alter the limits of the "said market area" by splitting within it the area comprising of tehsil Punasa of Khandwa District. (here in after referred to as the "said area").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause(i) and (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by splitting the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MUKESH KUMAR SHUKLA, Secy.